

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 53
पुलिस

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	373.45	15990.26	16363.71	197.69	21285.81	21483.50	226.75	25773.69	26000.44	
पूंजी	341.80	5009.74	5351.54	242.31	3713.19	3955.50	335.50	5815.31	6150.81	
जोड़	715.25	21000.00	21715.25	440.00	24999.00	25439.00	562.25	31589.00	32151.25	
पुलिस										
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	4037.81	4038.31	0.50	5371.10	5371.60	...	7026.68	7026.68
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	181.25	181.25	...	138.50	138.50	...	181.25	181.25
	जोड़	0.50	4219.06	4219.56	0.50	5509.60	5510.10	0.25	7207.93	7208.18
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055	...	151.58	151.58	...	198.08	198.08	...	236.21	236.21
	4055	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	12.50	12.50
	जोड़	...	157.58	157.58	...	204.08	204.08	...	248.71	248.71
3. सीमा सुरक्षा बल शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	3832.74	3833.24	0.50	5239.15	5239.65	...	6336.86	6336.86
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	230.00	230.00	...	137.34	137.34	...	196.11	196.11
	जोड़	0.50	4062.74	4063.24	0.50	5376.49	5376.99	0.25	6532.97	6533.22
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	960.00	960.50	0.50	1245.22	1245.72	...	1515.82	1515.82
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	50.05	50.05	...	59.35	59.35	...	58.98	58.98
	जोड़	0.50	1010.05	1010.55	0.50	1304.57	1305.07	0.25	1574.80	1575.05
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	1323.12	1323.62	0.20	1980.26	1980.46	...	2453.09	2453.09
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	21.00	21.00	...	20.69	20.69	...	27.91	27.91
	जोड़	0.50	1344.12	1344.62	0.20	2000.95	2001.15	0.25	2481.00	2481.25
6. असम राइफल्स शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	1255.84	1256.34	0.50	1628.97	1629.47	...	2138.74	2138.74
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	125.00	125.00	...	101.75	101.75	...	120.00	120.00
	जोड़	0.50	1380.84	1381.34	0.50	1730.72	1731.22	0.25	2258.74	2258.99
7. सशस्त्र सीमा बल शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.50	861.60	862.10	0.50	1222.84	1223.34	...	1467.34	1467.34
	2055	0.25	...	0.25
	4055	...	138.12	138.12	...	42.95	42.95	...	125.09	125.09
	जोड़	0.50	999.72	1000.22	0.50	1265.79	1266.29	0.25	1592.43	1592.68
8. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	2055	6.65	36.61	43.26	6.65	38.95	45.60	16.00	44.92	60.92
	4055	1.70	2.21	3.91	4.70	2.54	7.24	14.50	2.24	16.74
	जोड़	8.35	38.82	47.17	11.35	41.49	52.84	30.50	47.16	77.66
9. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2055	0.80	18.46	19.26	0.80	24.47	25.27	10.25	28.09	38.34
	4055	3.20	12.70	15.90	2.30	17.42	19.72	25.75	14.64	40.39
	जोड़	4.00	31.16	35.16	3.10	41.89	44.99	36.00	42.73	78.73
10. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	2055	...	33.52	33.52	...	42.43	42.43	...	49.70	49.70
	4055	...	2.06	2.06	...	6.06	6.06	...	3.06	3.06
	जोड़	...	35.58	35.58	...	48.49	48.49	...	52.76	52.76
11. विशेष पुलिस	2055	...	100.00	100.00	...	99.00	99.00
	4055	...	2420.00	2420.00	...	1320.00	1320.00
	जोड़	...	2520.00	2520.00	...	1419.00	1419.00
12. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2055	...	752.43	752.43	...	714.81	714.81
	3601	...	575.00	575.00	...	546.25	546.25
	3602	...	13.20	13.20	...	12.54	12.54
	जोड़	...	1340.63	1340.63	...	1273.60	1273.60
13. दिल्ली पुलिस	2055	41.00	1484.90	1525.90	19.48	2012.25	2031.73
	4055	1.00	55.00	56.00	1.01	55.00	56.01
	जोड़	42.00	1539.90	1581.90	20.49	2067.25	2087.74

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
(करोड़ रुपए)									
14. अन्य योजनाएं									
14.01 अन्य मदें	2055	...	69.10	69.10	...	78.11	78.11
	4055	0.40	0.85	1.25	0.09	2.04	2.13
	जोड़	0.40	69.95	70.35	0.09	80.15	80.24
14.02 बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	3601	...	10.00	10.00	...	9.50	9.50
14.03 इंडिया रिजर्व बटालियन	3601	...	15.00	15.00	...	14.25	14.25
	7601	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75
	जोड़	...	20.00	20.00	...	19.00	19.00
14.04 राज्यों को विशेष सहायता	3601	...	383.00	383.00	...	735.00	735.00
जोड़-अन्य योजनाएं		0.40	482.95	483.35	0.09	843.65	843.74
जोड़-पुलिस		57.75	19163.15	19220.90	37.73	23127.57	23165.30	68.00	22039.23
आवास									
15. पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण									
15.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	170.00	284.04	454.04	99.71	233.69	333.40
15.02 दिल्ली पुलिस	4055	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
15.03 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	4552	80.00	...	80.00	58.00	...	58.00
जोड़-पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण		260.00	284.04	544.04	167.71	233.69	401.40
लोक निर्माण कार्य									
16. पुलिस के लिये भवनों का निर्माण									
16.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	14.50	540.80	555.30	5.50	673.41	678.91
16.02 दिल्ली पुलिस	4055	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
जोड़-लोक निर्माण कार्य		39.50	540.80	580.30	30.50	673.41	703.91
सड़कें और पुल									
भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य									
17. कांटेदार बाड़ लगाना	4055	...	407.24	407.24	...	402.68	402.68
18. सड़कों का निर्माण	4055	...	76.99	76.99	...	73.14	73.14
जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य		...	484.23	484.23	...	475.82	475.82
19. भारत-पाकिस्तान सीमा संबंधी निर्माण कार्य	4055	...	124.00	124.00	...	118.37	118.37
20. दिल्ली पुलिस-यातायात संकेतों आदि को लगाना	4055	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
21. हाई-टेक निगरानी और सीमा और तटीय सुरक्षा के लिए अवसंरचना निर्माण	2055	...	76.35	76.35	...	72.63	72.63
	4055	...	327.43	327.43	...	297.51	297.51
	जोड़	...	403.78	403.78	...	370.14	370.14
22. उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना	3601	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
23. अपराध और आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क व प्रणालियां	2055	210.00	...	210.00	62.06	...	62.06
24. इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आंतकवादी गतिविधि विरोधी स्कूलों के लिए सहायता	3601	12.00	...	12.00	6.00	...	6.00
25. समेकित जाँच चौकियों की स्थापना	4055	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
26. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	2055	19.65	19.65
	4055	0.15	2.15	2.30
	जोड़	0.15	21.80	21.95
27. दिल्ली पुलिस										
27.01 दिल्ली पुलिस	2055	10.00	2761.03	2771.03
	4055	58.00	58.00
	जोड़	10.00	2819.03	2829.03
27.02 एनसीआर मेगा नगरों में ट्रैफिक एवं सम्प्रेषण नेटवर्क का विकास और मॉडल ट्रैफिक सिस्टम	2055	25.00	...	25.00
27.03 सम्प्रेषण अवसंरचना के विस्तार का उन्नयन	2055	0.50	...	0.50
27.04 दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षण का उन्नयन	4055	0.50	...	0.50
27.05 दिल्ली पुलिस की अद्यतन प्रौद्योगिकी का उन्नयन	4055	0.50	...	0.50
27.06 दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक संकेतों की संस्थापना	4055	2.00	...	2.00
जोड़-दिल्ली पुलिस		38.50	2819.03	2857.53
28. अन्य पुलिस व्यय	2055	17.41	17.41
	4055	0.52	0.52
	जोड़	17.93	17.93
29. कल्याण अनुदान	2055	55.00	55.00
30. अनुसंधान	2055	121.00	121.00
	4055	3182.00	3182.00
	जोड़	3303.00	3303.00
31. राज्यों को सहायता										
31.01 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2055	245.00	245.00
	3601	575.00	575.00
31.02 सुरक्षा संबंधी व्यय	3601	385.00	385.00
31.03 उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना	3601	30.00	...	30.00
31.04 अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क व प्रणाली	2055	125.00	...	125.00
31.05 इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आंतकवादी गतिविधि विरोधी स्कूलों के लिए सहायता	3601	8.50	...	8.50
31.06 इंडिया रिजर्व बटालियन	3601	15.00	15.00
जोड़-राज्यों को सहायता		163.50	1220.00	1383.50
32. संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	2055	163.60	163.60
	3602	13.20	13.20
	जोड़	176.80	176.80
33. प्रवास संबंधी सुविधाएं										
33.01 सीमा पर जांच चौकिया	2055	19.00	19.00
33.02 समेकित जाँच चौकियों की स्थापना	4055	100.00	...	100.00
	जोड़	100.00	19.00	119.00

मुख्य शीर्ष	(करोड़ रुपए)										
	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
आवास											
34. पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण											
34.01	केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	70.00	289.07	359.07
34.02	दिल्ली पुलिस	4055	15.00	...	15.00
34.03	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	4552	80.00	...	80.00
जोड़-पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण											
...											
लोक निर्माण कार्य											
35. पुलिस के लिये भवनों का निर्माण											
35.01	केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	10.60	584.16	594.76
35.02	दिल्ली पुलिस	4055	16.50	...	16.50
जोड़-लोक निर्माण कार्य											
...											
सड़कें एवं पुल											
36. सीमा प्रबंध भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य											
36.01	कांटेदार बाड़ लगाना	4055	407.24	407.24
36.02	सड़कों का निर्माण	4055	103.99	103.99
जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य											
...											
36.03	भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	4055	149.84	149.84
36.04	भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य	4055	44.00	44.00
36.05	भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	4055	13.00	13.00
36.06	भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	4055	2.00	2.00
36.07	भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य	4055	2.00	2.00
जोड़-सीमा प्रबंध											
...											
37.	तटीय सुरक्षा	4055	103.66	103.66
38.	सीमा निर्माण कार्यों का रखरखाव	2055	76.35	76.35
39.	सीमा के बाहर चौकियां	4055	115.00	115.00
40.	विविध मदें	4055	11.90	11.90
		7601	5.00	5.00
	जोड़	16.90	16.90
41.	बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति (क्रम सं.26 से 41-चल रही परियोजनाओं को पुनः श्रेणीबद्ध किया गया है)	3601	10.00	10.00
कुल जोड़											
715.25 21000.00 21715.25 440.00 24999.00 25439.00 562.25 31589.00 32151.25											
ग. आयोजना परिव्यय											
विकास शीर्ष											
1.	पुलिस	32055	635.25	...	635.25	382.00	...	382.00	482.25	...	482.25
2.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	80.00	...	80.00	58.00	...	58.00	80.00	...	80.00
जोड़											
715.25 ... 715.25 440.00 ... 440.00 562.25 ... 562.25											

1. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल** : यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है और राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने पर विभिन्न प्रकार के आंतरिक सुरक्षा कार्य करता है। इस बल का प्राकृतिक आपदाओं आदि के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड**: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट बल है। इसी पृष्ठभूमि के साथ, 1984 में संघीय बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया था ताकि उन विशिष्ट स्थितियों से निपटा जा सके जिनमें विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है

और इस प्रकार सभी तरह के आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला किया जा सके।

3. सीमा सुरक्षा बल: जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमा, भारत-बंगलादेश सीमा और भारत-म्यांमार सीमा पर निगरानी के लिए अपनी सामान्य तैनाती के अलावा, यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को प्रभावी सहायता प्रदान करता है। यह सीमावर्ती/स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है और सीमा क्षेत्र में होने वाले अपराधों को रोकता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को भी रोकता है।

4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है।

5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल: केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है।

6. असम राइफलस: असम राइफलस देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है। अधिकांश बल सेना के नियंत्रणाधीन पूर्वोत्तर में तैनात है।

7. सशस्त्र सीमा बल: यह दूसरा सीमा रक्षक बल है जिसे उत्तराखण्ड से सिक्किम तक भारत-नेपाल सीमा और भारत-भूटान सीमा पर तैनात किया गया है। इस बल को पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि में भी आंतरिक सुरक्षा कार्यों हेतु तैनात किया गया है।

8. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान: इसके अंतर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान; पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो संबंधी व्यय शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए भी प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान बी.पी.आर.एण्डडी, अर्थात् (क) प्रशिक्षण तंत्रों, (ख) बेहतरदक्षता तथा जनता एवं पुलिस आदि के लिए अधिक आउटरीच हेतु अनु. व विकास योजनाओं की योजनाओं के लिए भी तथा जेलों को प्रशिक्षण कौशल, अवसंरचना, वैज्ञानिक मूल्यांकन आदि को उन्नत बनाने के लिए भी है। इसमें केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना, 6 नए आंचलिक शाखा सह केन्द्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूलों के गठन तथा प्रत्येक संबंधित अंचल के लिए पुलिस और जेलों की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौजूदा तीन केन्द्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूलों के उन्नयन के लिए भी प्रावधान है। यह प्रावधान अवैध मानव व्यापार प्रतिषेध यूनिट के प्रशिक्षण एवं स्थापना के माध्यम से अवैध मानव व्यापार रोकने के लिए विधि प्रवर्तन तंत्र की सुदृढ़ करने के लिए भी है।

9. अपराध संबंधी जांच और सतर्कता: इसके अंतर्गत केन्द्रीय अपराध विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान केन्द्रीय अपराध विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और सरकारी प्रश्नगत प्रलेख परीक्षक कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास व अनुसंधान तथा विकास योजनाओं तथा क्षेत्रीय अपराध विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और डीएनए केन्द्रों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा।

10. अन्तर-राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना: राज्यों से और राज्यों को संदेश प्रसारण के अतिरिक्त योजना का उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग की पद्धति को आधुनिक बनाना है।

11, 30 और 33.01 विशेष पुलिस: इसमें सीमा जांच-चौकियों आदि के रखरखाव पर किए गए व्यय के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति किये जाने वाले प्रभार शामिल हैं।

12, 31.01 और 32. पुलिस बल का आधुनिकीकरण: इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% अनुदान सहायता के रूप में नकद और वस्तु रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसे वाहनों, वायरलेस उपकरणों, कंप्यूटरों और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद पर किए जाने वाले अनावर्ती स्वरूप के खर्च के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में अपराध-रोधी अवसंरचना के विकास अपराध व आपराधिक प्रतिषेध नेटवर्क

सिस्टम और इनसर्जेंसी का मुकाबला करने एवं आतंकवादी विरोधी स्कूलों की स्थापना के लिए भी है।

13, 20 और 27. दिल्ली पुलिस: दिल्ली पुलिस को दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनकी जिम्मेदारियां यातायात का प्रबंधन, अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना, लाइसेंस जारी करना और विदेशियों का पंजीकरण करना आदि भी हैं। दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था एक आरक्षित विषय है जिसे केंद्रीय सरकार के अधिकार में रखा गया है। दिल्ली पुलिस का व्यय, जिसे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता था, को पहली अगस्त, 1996 से केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

पूँजीगत लेखा संबंधी प्रावधान दिल्ली क्षेत्र में यातायात संकेतों आदि को लगाने संबंधी व्यय के लिए है।

14, 26, 28, 29, 30.02, 31.06, 40 और 41. अन्य योजनाएं: इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, बटालियनों को तैनात करने और इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन के लिए राज्य सरकारों को वस्तु रूप में दिए जाने वाले अन्य अनुदान और ऋण, सुरक्षा संबंधी व्यय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और तटीय निगरानी के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता शामिल है।

15 और 34. पुलिस के लिए रिहाइशी मकानों का निर्माण: यह प्रावधान केन्द्रीय पुलिस संगठनों (असम राइफलस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सशस्त्र सीमा बल आदि) और दिल्ली पुलिस के लिये रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए है।

16 और 35. पुलिस के लिए भवनों का निर्माण: इसमें सीमा चौकियों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफलस, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल आदि) और दिल्ली पुलिस के लिए भवनों के निर्माण संबंधी व्यय शामिल हैं।

17, 18, 36.01 और 36.02 भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य: भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने तथा सड़कों के निर्माण का उद्देश्य अवैध आब्रजन को रोकना है।

19 और 36.03 भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य: इस योजना के अंतर्गत भारत पाक-सीमा से अवैध घुसपैठ और शस्त्र एवं गोला-बारूद का लाना रोकने के लिए प्रावधान किया गया है।

21, 36.4, 36.05, 36.06, 37, 38, 39 और 40. उच्च प्रौद्योगिकीय निगरानी एवं सीमाओं और तटीय सुरक्षा के लिए अवसंरचना का सृजन: यह प्रावधान भारत-बंगलादेश तथा भारत-पाक सीमा कार्यों के अनुरक्षण के लिए है तथा इसमें सीमा सुरक्षा बल द्वारा वायुयान/नदी नौकाओं की खरीद करने संबंधी प्रावधान भी शामिल है। इसमें अन्य सीमाओं के प्रबंधन, आधारभूत ढांचे के निर्माण, भारत-चीन सीमा, भारत-म्यांमार सीमा, भारत-नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा तथा भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बंगलादेश सीमा तथा अन्य सीमाओं पर उच्च तकनीकी निगरानी की शुरुआत तथा विभिन्न केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों द्वारा सीमा-चौकियों के निर्माण के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

22 और 31.03 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना: अवसंरचना अंतरालों को समाविष्ट करने के लिए सुरक्षा विकास के क्षेत्रों में उग्रवाद प्रभावित राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों और उनके संसाधनों को पूरा करने के लिए है।

23 और 31.04 अपराध एवं अपराध-प्रतिषेध ट्रेकिंग (पता लगाना) नेटवर्क और सिस्टम: इस योजना का उद्देश्य थानों का आटोमेशन, मैनुअल एण्ड रिडिस्टेंट रिकार्ड कीपिंग में कमी, सूचना का प्राप्ति, सूचना का आदान-प्रदान आदि है।

24 और 31.05 इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आतंकवादी गतिविधि-निषेध स्कूलों की सहायता: यह प्रावधान पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आतंकवादी गतिविधि निषेध स्कूलों की स्थापना के लिए है।

25 और 33.02 समेकित जांच चौकियों की स्थापना: अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमाओं पर समेकित जांच चौकियों की स्थापना के लिए प्रावधान है।